न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 11/2022 तारीख रजू :– 10.03.2022

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कांचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :– 21-6-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र के मुताविक जमाबन्दी प्रार्थी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से दीनानाथ के स्थान पर दीनदयाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम दीनानाथ पुत्र घनश्याम शर्मा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का अन्य राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी खाता संख्या 175 के खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.47 है0, 1247 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें सायल दीना पुत्र घनश्याम 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिससे भी भली प्रकार स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारियों ने खाता संख्या 206 की जमाबन्दी में दीनानाथ के स्थान पर दीनदयाल गलत दर्ज कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, सैकण्ड्री की अंकतालिका, उच्च माध्यमिक की टी.सी., जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि समस्त सभी सरकारी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दीनानाथ शर्मा दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम दीनदयाल न होकर दीनानाथ है। इसलिए आराजी मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकार्ड में भी सायल का नाम दीनदयाल के स्थान पर दीनानाथ दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी द्वारा दीनदयाल के स्थान पर दीनानाथ दर्ज कराने हेतु अप्रार्थी से दिनांक 04.03.2022 को मिला और उनसे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम में दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने उक्त दुरूस्ती हेतु इन्कार कर दिया और श्रीमान् के यहॉं अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाता संख्या 206 के खातेदारी के कॉलम में दीनदयाल पुत्र घनश्याम के स्थान पर दीनानाथ पुत्र घनश्याम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद प्रार्थी साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 इस हद तक स्वीकार है कि खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 206 में सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 आंशिक स्वीकार है। क्योंकि वादी मुताबिक जमाबन्दी ग्राम खेडा सम्बत् 2071–74 में खाता संख्या 206 में सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष तथ्य अस्वीकार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम काचरौली जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 175 के खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.47 है0, 1247 रकबा 0.71 है0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन में तहखातेदार दीना पुत्र घनश्याम हि01/3 दर्ज रिकार्ड है। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7, में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05,6,7 कानूनी है।

विविध – वादी ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसका नाम दीनानाथ के बजाय दीनदयाल जमाबन्दी ग्राम खेडा सम्बत् 2071–74 खाता संख्या 206 पर दर्ज किया है जो शुद्धि किया जावे। भू–प्रबन्ध खतौनी में ग्राम खेडा के खाता संख्या 380 पर वादी का नाम दीनदयाल पुत्र घनश्याम अंकित है। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध खतौनी ग्राम काचरौली के खाता संख्या 395 पर वादी का नाम दीना पुत्र घनश्याम अंकित है। वादी द्वारा स्वंय के नाम दीनदयाल पुत्र घनश्याम दर्ज कराने के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो पत्रावली में संलग्न है। निर्णय नाम शुद्धि माननीय न्यायालय अध्याधीन है। रिपोर्ट आईएलआर खेडा व पटवारी खेडा संलग्न है।

अतः जबाव प्रतिवादी संलग्न प्रेषित है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सम्बत् 2071–74 ग्राम खेडा, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 ग्राम काचरौली, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 508748204826 , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1986 रोल नम्बर 353026 अंकतालिका दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा, फोटो प्रति टी.सी. फार्म राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सपोटरा प्रवेश रजिस्टर संख्या 6878 दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्यामलाल शर्मा निवासी काचरौली, फोटो प्रति जन आधार कार्ड संख्या 4824518879 दीनानाथ शर्मा निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 00729 दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से गैरीकार सरकार तहसीलदार ...ण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन ...या। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत ...071-74 के अनुसार आराजीयात खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा ...90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी दीनदयाल पुत्र घनश्याम हिस्सा /6 जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.47 है0, 1247 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी दीना पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा0दे0 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 508748204826 दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1986 रोल नम्बर 353026 अंकतालिका दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा के नाम से जारी की गई है।

फोटो प्रति टी.सी. फार्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा प्रवेश रजिस्टर संख्या 6878 दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्यामलाल शर्मा निवासी काचरौली के नाम से जारी की गई है।

फोटो प्रति जन आधार कार्ड संख्या 4824518879 दीनानाथ शर्मा निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 00729 दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में दीनदयाल पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.47 है0, 1247 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में दीना पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये अन्य दस्तावेज जैसे अंकतालिका, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, टी.सी. फार्म में प्रार्थी का नाम दीनानाथ शर्मा पुत्र

घनश्याम शर्मा दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा है। जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2071–74 में आराजीयात खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में दीनदयाल पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी सं0 2071–74 में खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.47 है0, 1247 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में दीना पुत्र घनश्याम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी दुरूस्ती कराने का प्रार्थी पूर्ण रूपेण अधिकारी साबित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दीनदयाल पुत्र घनश्याम व दीना पुत्र घनश्याम के स्थान पर दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा संशोधन करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 573 रकबा 0.84 है0, 574 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में दीनदयाल पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण के स्थान पर दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी काचरौली हिस्सा 1/6 संशोधन करने के आदेश दिये जाते है एवं विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.47 है0, 1247 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में दीना पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण निवासी काचरौली के स्थान पर दीनानाथ शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी काचरौली हिस्सा 1/3 संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किय्रा जावे। निर्णय्र की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 21-6-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली